>

Title: Need to implement GPF-cum-Pension Scheme for the employees of Jawahar Navodaya Vidyalaya who joined services before 01.01.2004.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनांक 1.1.2004 से पूर्व जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सेवा ज्वाइन की थी, उनके ऊपर सी.सी.एस. पेंशन रूल्स, 1972 के अंतर्गत जी.पी.एफ सह पेंशन योजना लागू नहीं की गई है जबकि अन्य सभी के ऊपर यह योजना लागू है। इससे देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सेवारत कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग आक्रोश में है और विगत वर्षों में अनेक बार भारत सरकार को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है तथा आन्दोलनों के माध्यम से अपने आक्रोश को प्रकट किया गया है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है। अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री एवं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए जवाहर नवोदन विद्यालय में कार्यरत सम्पूर्ण सेवारत कर्मचारियों जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 से पूर्व सेवा ज्वाइन की है, उन पर जी.पी.एफ सह पेंशन योजना लागू की जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके और वे राष्ट्र को अपनी बेहतर सेवाएं दे सकें।